

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कुचामनसिटी जिला नागौर (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी :- श्री बाबुलाल जाट (RAS)

राजस्व वाद संख्या 110/2019 RCMS 2019/00194

वादी

1. कानाराम पुत्र प्रेमराम जाति बावरी उम्र 32 वर्ष निवासी ग्राम रामपुरा तहसील कुचामनसिटी जिला नागौर राज.

बनाम

प्रतिवादीगण

1. रामकरण पुत्र छगनाराम जाति बावरी
  2. गोपाल पुत्र छगनाराम जाति बावरी
  3. अशोक पुत्र छगनाराम जाति बावरी
  4. जगदीश पुत्र छगनाराम जाति बावरी
  5. परमेश्वरलाल पुत्र किशनाराम जाति बावरी
  6. भंवरलाल पुत्र डालूराम जाति खटीक
  7. शंकरराम पुत्र छोटूराम जाति बावरी
  8. सोहना पुत्र खींवाराम जाति बावरी
  9. मंजूदेवी पुत्री बीरमा जाति बावरी
  10. चेनु देवी पुत्री बीरमा जाति बावरी निवासी ग्राम चितावा तहसील कुचामनसिटी
  11. उप पंजीयक कुचामनसिटी
  12. राजस्थान सरकार जरिये प्रतिनिधि तहसीलदार कुचामनसिटी
- दावा इस्तकरार हक व भू-विभाजन बाबत अन्तर्गत धारा 88, 53, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955


उपस्थित :- श्री राजेश गुर्जर अधिवक्ता वादी की ओर से।

निर्णय

दिनांक 26.08.2021

वकुलाय उपस्थित। उभय पक्षकारान ने बहस कर कथन किया कि वाद पत्र में प्राथमिक डिक्री तहसीलदार कुचामन सिटी से प्राप्त हो चुकी है माफिक बंटवारा स्कीम के अन्तिम डिक्री फरमावे। वकील वादी की बहस पर वाद पत्र एवं वाद पत्र के संलग्न दिनांक 09.04.2021 को प्राथमिक डिक्री जारी कर तहसीलदार कुचामनसिटी से बंटवारा स्कीम मंगवाई गई। तहसीलदार कुचामनसिटी ने बंटवारा स्कीम पत्रांक भू0अ0/2021/1015 दिनांक 22.06.2021 के द्वारा भिजवाई गई, बंटवारा स्कीम शामिल मिसल उपलब्ध है। उभय पक्षकार अधिवक्ता की अन्तिम डिक्री पर बहस सुनी गई, जिसने कथन किया कि माफिक बंटवारा स्कीम वादीगण के पक्ष में अंतिम डिक्री आदेश जारी कर राजस्व रेकार्ड एवं नक्शे में आवश्यक तरमीम किये जाने हेतु आदेश प्रदान फरमावे। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात एवं बहस पर मनन एवं संलग्न प्राथमिक डिक्री व तहसीलदार से प्राप्त बंटवारा स्कीम का अवलोकन करने से न्यायालय का मत



  
उपखण्ड अधिकारी


है कि वादी का वाद काबिल अन्तिम डिक्री पाया जाने से निम्न प्रकार अन्तिम डिक्री जारी की जाती है।

### आदेश

वाद वादी अन्तिम रूप से डिक्री किया जाकर ग्राम चितावा तहसील कुचामनसिटी जिला नागौर के खसरा नम्बर 684 रकबा 0.95 हैक्टर बरानी तृतीय में से 0.11875 का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा छगना पुत्र अर्जुन बावरी चितावा का नाम खातेदारी से हटाया जाता है तहसीलदार कुचामनसिटी द्वारा प्रस्तुत पी.डी. रिपोर्ट अनुसार वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है शेष खाता बदस्तूर रहेगा, तहसीलदार कुचामनसिटी द्वारा प्रस्तुत बंटवारा स्कीम निर्णय का भाग रहेगी। अन्तिम डिक्री पर्चा भरा जाकर शामिल मिसल हो। बंटवारा स्टाम्प ड्यूटी पेश होने पर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद एवं नक्शे में तरमीम किये जाने हेतु तहसीलदार कुचामनसिटी को तहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 26/8/2020 को सरे इजलास सुनाया गया ।



  
(बबुलाल जाट R.A.S.)  
उपखण्ड अधिकारी  
कुचामनसिटी (नागौर)  
उपखण्ड अधिकारी  
कुचामन सिटी (नागौर)

डिक्री मुकदमा इन्तेहाई  
(ओ.20 रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत : उपखण्ड अधिकारी मुकाम : कुचामन सिटी

बइजलास : बाबुलाल जाट (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या 110/2019 RCMS 2019/00194

वादी

1. कानाराम पुत्र प्रेमराम जाति बावरी उम्र 32 वर्ष निवासी ग्राम रामपुरा तहसील कुचामनसिटी जिला नागौर राज.

बनाम

प्रतिवादीगण

1. रामकरण पुत्र छगनाराम जाति बावरी
2. गोपाल पुत्र छगनाराम जाति बावरी
3. अशोक पुत्र छगनाराम जाति बावरी
4. जगदीश पुत्र छगनाराम जाति बावरी
5. परमेश्वरलाल पुत्र किशनाराम जाति बावरी
6. भंवरलाल पुत्र डालूराम जाति खटीक
7. शंकरराम पुत्र छोटूराम जाति बावरी
8. सोहना पुत्र खींवाराम जाति बावरी
9. मंजूदेवी पुत्री बीरमा जाति बावरी
10. चेनु देवी पुत्री बीरमा जाति बावरी निवासी ग्राम चितावा तहसील कुचामनसिटी
11. उप पंजीयक कुचामनसिटी
12. राजस्थान सरकार जरिये प्रतिनिधि तहसीलदार कुचामनसिटी

दावा इस्तकरार हक व भू-विभाजन बाबत अन्तर्गत धारा 88, 53, R.T.Act 1955

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रू-बरू वकील श्री राजेश गुर्जर अधिवक्ता हाजिरी ..... मिनजानिब मुदई रू-बरू ..... अधिवक्ता मिनजानिब मुदायलह पेश होकर हुकम दिया जाता है कि वाद वादी अन्तिम रूप से डिक्री किया जाकर ग्राम चितावा तहसील कुचामनसिटी जिला नागौर के खसरा नम्बर 684 रकबा 0.95 हैक्टर बारानी तृतीय में से 0.11875 का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा छगना पुत्र अर्जुन बावरी चितावा का नाम खातेदारी से हटाया जाता है तहसीलदार कुचामनसिटी द्वारा प्रस्तुत पी.डी. रिपोर्ट अनुसार वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है शेष खाता बदस्तूर रहेगा, तहसीलदार कुचामनसिटी द्वारा प्रस्तुत बंटवारा स्कीम निर्णय का भाग रहेगी। अन्तिम डिक्री पर्वा भरा जाकर शामिल मिसल हो। बंटवारा स्टाम्प ड्यूटी पेश होने पर राजस्व रेकॉर्ड में अमल दरामद एवं नक्शे में तरमीम किये जाने हेतु तहसीलदार कुचामनसिटी को तहरीर जारी हो।

निज ..... मुबलिग ..... बाबत..... खर्चा इस मुकदमे के मय सूद शरह.... फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक ..... का अदा करें।

बसबत मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक 26 माह 08 सन् 2021 को जारी की गई।



दस्तखत .....  
ओहदा ..... (मुहर)

मुदई	रूपयें	पैसे	मुदायलय	रूपयें	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालत नामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महन्ताना वकिल		
महन्ताना वकिल			खर्चा गवाहन		
खर्चा गवाहन			फिस कमिश्नर		
फिस कमिश्नर			बबत इजराय हुकमनामा		
बबत इजराय हुकमनामा			मुतफरिक		
मीजान			मीजान		

नोट: इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेत का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया गया हो या नहीं, दर्ज करना चाहिए।